तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विविध प्रार्थना पत्र संख्या 58/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00089) बअनवान कालुराम बनाम हरिश मनिहार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर. ए. एस.)

रुघाराम चौधरी

बनाम

हरजीराम इत्यादि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 दिवानी प्रक्रिया संहिता बाबत आदेश दिनांक 13.04.2022

उपस्थित

1. श्री रुघाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 03.03.2025

प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 61/2022 अनवान हरजीराम बनाम मनोहरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 13 अप्रैल 2022 में अंकित वाक्यांश ''अपीलांट्स के अधिवक्ता ने बिना अपीलांट्स की अनुमति के माननीय अदालत में अपील पेश कर दी।'' व ''अपीलांट के अधिवक्ता उपरोक्त अपील को जबरदस्ती चलाना चाहते है।'' को निर्णय से विलोपित किये जाने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। मूल अपील प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी की गई। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान् द्वारा अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिये जाने पर प्रार्थी द्वारा अपील संख्या 61/2022 प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विविध प्रार्थना पत्र संख्या 58/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00089) बअनवान कालुराम बनाम हरिश मनिहार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। इसी दरम्यान उभय पक्ष ने बिना प्रार्थी को सूचित किये दिनांक 13.04.20222 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि मुझ अधिवक्ता द्वारा बिना बिना पुछे अपील प्रस्तुत की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पक्षकारान् के कथनों को सत्य मानते हुए तथा निर्णय दिनांक 13.04.2022 में इस आशय का विवेचन करते हुए मामले का निस्तारण कर दिया। प्रार्थी को अपने पर लगे आरोपो का खण्डन करने का कोई अवसर प्रदान ही नहीं किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी पर लगे निराधार आरोपो को हटाया जाना आवश्यक है।

अंत में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.04.2022 में अंकित शब्द ''अपीलांट्स के अधिवक्ता ने बिना अपीलांट्स की अनुमति के माननीय अदालत में अपील पेश कर दी।'' व ''अपीलांट के अधिवक्ता उपरोक्त अपील को जबरदस्ती चलाना चाहते है।'' को हटाये जाने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ अपील पत्रावली संख्या 61/2022 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उभय पक्षकारान् द्वारा स्वयं अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 13.04.2022 को संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा प्रस्तुत कर अपील को जरिये राजीनामा अपील को निस्तारित किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलांट पक्ष द्वारा प्रार्थी को सूचित किये बिना अन्य अधिवक्ता नियुक्त कर उनके जरिये राजीनामा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, जिससे प्रार्थी को सुनवाई का मौका नहीं मिल सका। सामान्यतः अधिवक्ता बिना पक्षकारान् की सहमति से अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विविध प्रार्थना पत्र संख्या 58/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00089) बअनवान कालुराम बनाम हरिश मनिहार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 61/2022 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 में अंकित वाक्यांश ''अपीलांट्स के अधिवक्ता ने बिना अपीलांट्स की अनुमति के माननीय अदालत में अपील पेश कर दी।'' व ''अपीलांट के अधिवक्ता उपरोक्त अपील को जबरदस्ती चलाना चाहते है।'' विलोपित किये जाते है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर